

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या

12/111/2017

प्रवेश तिथि

27-07-2017

निर्णय दिनांक

07-02-2018

01- समसू पुत्र जुम्मा जाति फकीर निवासी ओडेला तह0 रामगढ जिला अलवर

अपीलाण्ट

बनाम

01- तहसीलदार, रामगढ जिला अलवर

रेस्पौडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार रामगढ
दिनांक 08.03.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 61/2017



उपस्थित:-

अलवर 01-01-2018 श्री. सुधलाल गुर्जर

-वकील अपीलाण्ट

-निर्णय:-

अपीलाण्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 08.03.2017 जिसके द्वारा अपीलाण्ट को ग्राम ओडेला की चारागाह भूमी आराजी खसरा नम्बर 205 रकबा 1.54 है०, मे से 0.25 है० पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधिनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम ओडेला की चारागाह भूमी आराजी खसरा नम्बर 205 रकबा 1.54 है०, मे से 0.25 है० पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 25.01.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलाण्ट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलाण्ट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलाण्ट ने आदेश दिनांक 08.03.2017 के विरुद्ध दिनांक 27.07.2017 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट से अपीलार्थी का पश्चातवर्ति अतिक्रमण साबित नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 26.07.2017 का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोडना बताया गया है तथा रिपोर्ट तहसीलदार रामगढ दिनांक 26.12.2017 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 07-02-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(राकेश कुमार)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)

अलवर (राज०)